



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2298]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2016/भाद्र 30, 1938

No. 2298]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2016/BHADRA 30, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2016

का.आ. 3010(अ)—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2572(अ), तारीख 14 नवम्बर, 2011, जिसे का.आ. सं. 1930(अ), तारीख 31.05.2016 द्वारा संशोधित किया गया था, द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के 0.000 कि.मी. से 223.210 कि.मी. (लाडनू-खाटू-देगना-मेरटा सिटी- लाम्बिया-जयतारान-रायपुर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है ;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क का संग्रहण करने हेतु सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और उनमें सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014, सा.का.नि. 220(अ), तारीख 23 मार्च, 2015 और सा.का.नि. 585(अ), तारीख 08 जून, 2016 को संशोधित किए हैं ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथा-संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के 163.800 कि.मी. (विद्यमान चैनैज 168.290 कि.मी.) से 218.563 कि.मी. (विद्यमान चैनैज 223.210 कि.मी.) तक पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन लाम्बिया-रायपुर सेक्शन के सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 44.145 कि.मी. [0.256 कि.मी. की संरचनाओं को छोड़कर (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) जिनकी समकक्ष लम्बाई 2.560 कि.मी. है] के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) के 60% पर तथा बाइपासों जिनकी लम्बाई 10.362 कि.मी. है, हेतु नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों के 90% पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्—

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20

तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
रारा-458 के पाली जिले में लिलाम्बा गांव के पास, 216.327 कि.मी. पर डिजाइन चैनेज (219.690 कि.मी. पर विद्यमान चैनेज)	44.145 (नीचे पैरा 3 में उल्लिखित संरचनाओं की लम्बाई को छोड़कर) 0.256 कि.मी.	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
		लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
रारा-458 के पाली जिले में लिलाम्बा गांव के पास, 216.327 कि.मी. पर डिजाइन चैनेज पर (219.690 कि.मी. पर विद्यमान चैनेज)	रारा-458 के जयतारन बाइपास के 189.000 कि.मी. डिजाइन चैनेज पर (विद्यमान चैनेज 193.900 कि.मी.) से शुरू होकर 196.827 कि.मी. पर डिजाइन चैनेज (विद्यमान चैनेज 198.200 कि.मी.) पर मिलते हुए	7.827	50.64	आधार दरों का 90% (अर्थात् ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60% का 1.5 गुना)
	रारा-458 के कुशलपुरा बाइपास के 208.492 कि.मी. डिजाइन चैनेज पर (विद्यमान चैनेज 212.840 कि.मी.) से शुरू होकर 211.027 कि.मी. डिजाइन चैनेज (विद्यमान चैनेज 215.493 कि.मी.) पर मिलते हुए	2.535	12.50	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए भी, संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु 'संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिसपर शुल्क संदेय है
रारा-458 के पाली जिले में लिलाम्बा गांव के पास, 216.327 कि.मी. पर डिजाइन चैनेज (219.690 कि.मी. पर विद्यमान चैनेज)	0.256 कि.मी.	2.560	उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
कुल लम्बाई		2.560	

*60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचना का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचना		लम्बाई (कि.मी.)
	चैनेज (कि.मी.)	तक	
1	185.252	185.508	0.256
योग			0.256

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2016-17 के लिए मासिक पास की दर 235.00/- रुपए (दो सौ पैंतीस रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमाम्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	50	संदाय की समय से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50: होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को ऐसे यांत्रिक वाहन के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए ।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 191.80 करोड़ रुपए है। पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष है। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गए प्रयोक्ता शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40: कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/780/सीओ/16-17/जीसी लाम्बिया-रायपुर सेक्शन]
दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2016

S.O. 3010(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 2572(E), dated 14th November 2011 and amended vide S.O. No. 1930(E) dated 31.05.2016 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 0.000 to km 223.210 (Ladnu-Khatu-Degna-Merta City-Lambia-Jaitaran-Raipur Section) of National Highway No. 458 in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838(E), dated the 5th Dec, 2008, and amended vide G.S.R. 950(E), dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E), dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E), dated 12th October, 2011 and G.S.R 778(E), dated 16th December, 2013, G.S.R 26(E), dated 16th January, 2014, G.S.R 831(E), dated 21st November, 2014, G.S.R 220(E), dated 23rd March, 2015 and G.S.R 585(E), dated 08th June, 2016 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “said Rules”), the Central Government hereby levies the fee at 60% of the base rate specified in column (2) in Table 1 for net road section length of 44.145 km {excluding 0.256 Km of structure (having length more than 60 m) with equivalent length of 2.560 km} (hereinafter referred to as “base rate”) for use of the Two Lane with paved shoulders section on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below and bypasses having a length of 10.362 Km. at 90% of the base rates specified in column(2) of Table-1 below for the use of Lambia-Raipur section from km 163.800 (Existing Ch. Km. 168.290) to km 218.563 (Existing Ch. Km. 223.210) of National Highway number 458 in the State of Rajasthan and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza:

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 216.327, design chainage (at km. 219.690, existing chainage) near village Lilamba in Pali district of NH-458	44.145 (Excluding 0.256 km length of structures indicated in Para-3 below)	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass(es) costing Rs. 10 crore or more at the following Fee Plaza(s) for net bypass(es) length specified for such Fee Plaza:

Location of Fee Plaza(s) (chainage)	Name of the Bypass	Length & Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
		Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At km 216.327, design chainage (at km. 219.690, existing chainage) near village Lilamba in Pali district of NH-458	Jaitaran Bypass taking off at design chainage km 189.000 (Existing Chainage km 193.900) and merging at design chainage km 196.827 (Existing Chainage km 198.200) of NH-458.	7.827	50.64	90% of the base rates (i.e. 1.5 times of 60% of the base rates) mentioned in Table-1 above
	Kushalpura Bypass taking off at design chainage km 208.492 (Existing Chainage km 212.840) and merging at design chainage km 211.027 (Existing Chainage km 215.493) of NH-458.	2.535	12.50	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 216.327, design chainage (at km. 219.690, existing chainage) near village Lilamba in Pali district of NH-458	0.256 Km.	2.560	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Total length	2.560	

*Details of structure having length more than 60m is as under:

S. No.	Structure having length more than 60 m		
	Chainage (Km.)		Length (Km.)
	From	To	
1	185.252	185.508	0.256
	Total		0.256

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 235.00 (Rupees Two Hundred Thirty Five only) for the year 2016-17 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 191.80 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/780/CO/16-17/GC Lambia-Raipur Section]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.